भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 905

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बीएएमएस और बीएचएमएस स्नातकों की नियोजनीयता

905. श्री गौरव गोगोई:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में बीएएमएस और बीएचएमएस स्नातकों की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए कौशल विकास कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा इंटर्नशिप के अवसरों की पेशकश की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद रोजगार खोजने में बीएएमएस, बीएचएमएस और अन्य आयुष स्नातकों की सहायता करने के लिए कोई समर्पित कार्यक्रम अथवा पहल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास स्नातकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई दीर्घकालिक कार्यनीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 के तहत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएसआर एंड एच) छात्रों को एक वर्ष के अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप से गुजरना आवश्यक है, जिसमें वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में रोगी की देखरेख करने और औषधि देने के संदर्भ में छात्रों के कौशल को बढ़ाया जाता है। एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप के अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) द्वारा विभिन्न क्षमता वर्धन और कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली वर्ष 1999 से आरएवी (सीआरएवी) प्रमाणन का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भी संचालित करता है। जिसका उद्देश्य आयुर्वेदिक स्नातकों को विभिन्न गुरुओं द्वारा प्रशिक्षण दिलाकर और गुरु-शिष्य परंपरा पद्धति के जरिए ज्ञान का आत्मसात कराकर उन्हें अधिक दक्षता और क्षमता हासिल करने के लिए तैयार करना है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली के परिसर में एक इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (आईसीएआईएनई) की स्थापना की है, ताकि नए युग के उद्यमों का एक समूह तैयार किया जा सके और अकादमिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, एनसीआईएसएम ने सभी एएसयूएसआर कॉलेजों को अधिदेश दिया है कि वे नवाचारों को मूर्त रूप देने और छात्रों के उद्यमिता कौशल को बढ़ाने के लिए अपने परिसरों में एक अनुसंधान एवं नवाचार प्रकोष्ठ स्थापित करें।

*****

संलग्नक-I

<u>आयुष स्नातकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम या पहल</u>

- "उद्यमिता कौशल" पर सभी एएसयूएस कॉलेजों के सह-समन्वयक को प्रशिक्षित करने के लिए एनसीआईएसएम ने एनआई-एमएसएमई (राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान) के साथ समझौता ज्ञापन किया है और दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 तक "उद्यमिता विकास" पर विभिन्न क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

- नवाचार, इनक्यूबेशन, अनुसंधान, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के तहत अनुसंधान एवं नवाचार प्रकोष्ठ का प्रावधान शुरू किया गया है।

- आयुर्वेद अनुसंधान हेतु छात्रवृत्ति कार्यक्रम केन (स्पार्क) के तहत, बेहतर शोध प्रबंध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 100 स्नातक-पूर्व छात्रों को 50000 रुपए की छात्रवृति दी जाती है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए, इस वर्ष इस योजना को 200 स्नातक-पूर्व छात्रों तक बढ़ा दिया गया है।

- सीसीआरएएस ने, एनसीआईएसएम के सहयोग से "स्नातकोत्तर छात्रों के लिये आयुर्वेद अनुसंधान प्रशिक्षण योजना" (पीजी-एसटीएआर) शुरू की है। 100 चयनित स्नातकोत्तर छात्रों को उनके शोध प्रबंध कार्य के लिए 100000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

- सारांश और शोध प्रबंध तैयार करने हेतु स्नातकोत्तर छात्रों के नैदानिक अनुसंधान विधियों से संबंधित ज्ञान को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए एनसीएच के तहत होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्चुअल अनुसंधान प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

- स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद, आयुष स्नातकों के पास विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों में जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर होते हैं।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में आयुष स्नातकों को भी लगाया जा रहा है।